धारा-4 उजरियांव आवासीय भाग-2

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 8 दिसम्बर, 1984

अग्रहायण 17, 1906 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नगर विकास अनुभाग—5

संख्या 339/11–5 –84–55 एल0ए0-84

लखनऊ, 4 दिसम्बर, 1984

अधिसूचना

प0आ0—31

भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् सुनियोजित विकास योजना के अधीन लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा लखनऊ जिले में उजरियांव आवास योजना भाग-2 लखनऊ के लिये आवश्यकता है।

2—चूंकि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) और (1-क) के उपबन्ध भूमि पर लागू होते हैं क्योंकि उक्त भूमि की जो बंजर और कृष्य से भिन्न भूमि है लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा लखनऊ जिले में उजरियांव आवास योजना भाग-2 लखनऊ के लिये आत्यधिक आवश्यकता है और इस आत्यधिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जांच करने में सम्भावित विलम्ब को निवर्जित किया जाय, अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 339/XI-5-84—55-L.A.-84, dated December 4, 1984:

No. 339/XI-5-84—55-L.A.-84

Dated Lucknow, December 4, 1984

UNDER sub-section (1) [illegible] 1894), the Governor is pleased [illegible]

लखनऊ Lucknow	कमता--(समाप्त) Kamta—(Concld.)	बी० B.	बि० B.	बि० B.	
	428	0	12	0	6
	429	0	0	10	0
	430	1	1	10	0
	योग	84	3	16	0
		52 62 एकड़			
	महायोग	1776.07 एकड़			

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सुनियोजित विकास योजना के अधीन लखनऊ जिले में उजरियांव, आवास योजना, भाग–2 लखनऊ के लिये आवश्यकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, लखनऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

For what purpose the land is required—Ujariyaoun Housing Scheme, Part-2 Lucknow Development Authority under a Planned Development Scheme.

NOTE—A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Lucknow.

आज्ञा से,
राजेन्द्र शंकर माथुर,
सचिव।

By order,
R. S. MATHUR,
Sachiv.

...0 1105 राजपत्र (हि0)--(2997)--1985--1830 (मेको0)।